संख्या–451 /26–ब0प्र0–2010–4(205)/2000

प्रेषक,

भवनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण लखनऊ, दिनांकः 25 मई, 2010

विषयः– चालू वित्तीय वर्ष 2010–2011 में अनुदान संख्या–83 के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना "अनुसूचित जाति के कक्षा 1 से 10 तक पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता(जिला योजना) के अंतर्गत किये गये आय व्ययक प्राविधान के सापेक्ष प्रथम छमाही के लिए वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपयुक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(आय व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/2010, दिनांक 26–3–2010 जो समस्त विभागाध्यक्षों एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 को पृष्ठांकित है, में दिये गये दिशा निर्देशों के कम में चालू वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–83 के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष की "अनुसूचित जाति के कक्षा 1 से 10 तक पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता(जिला योजना) के अंतर्गत किये गये आय व्ययक प्राविधान रू0 43.00 करोड़ के सापेक्ष प्रथम छमाही हेतु धनराशि रू0 21,50,00,000/– (रूपये इक्कीस करोड़ पचास लाख मात्र) को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि वित्त(आय व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1– 951/दस–2010–231/2010, दिनांक 26–3–2010 में निहित दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों/प्रतिबंधों एवं छात्रवृत्ति योजना के संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन किसी नई योजना मदों में नहीं किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि उक्त योजना के लिए नियोजन विभाग द्वारा आवंटित परिव्यय की सीमा में जनपदवार, कक्षावार धनराशि का आवंटन किया जायेगा। इस हेतु निर्गत किये गये आवंटन की प्रतियां शासन/नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेंगी।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष आवंटन व्यय तभी किया जायेगा जब यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व वर्षो में स्वीकृत की गयी धनराशि का सम्पूर्ण व्यय/उपयोग कर लिया गया है और कोई धनराशि पी0एल0ए0/ बैंक/डाकखानों/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है और पूर्व में स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है। अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव शासन को भेजते समय पूर्व में स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि के व्यय का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(4) कोषागार से उतनी ही धनराशि का आहरण किया जायेगा जितनी धनराशि के तत्काल व्यय किये जाने की आवश्यकता हो। अवशेष बची धनराशि समय से शासन को समर्पित की जायेगी।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना के लिए उपलब्ध नियमावली/स्थायी आदेशों के अंतर्गत ही किया जायेगा ।

2– उपर्युक्त योजना पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक– 2225– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण– आयोजनागत –01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–06–अनुसूचित जाति के कक्षा 1 से 10 तक पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता–(जिला योजना)–21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन– के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–951/दस–2010–231/2010, दिनांक 26–3–2010 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(भवनाथ)
विशेष सचिव ।

संख्या–451 (1)/26–ब0प्र0–2010 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2– महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद
3– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/।
4– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त(आय व्ययक) अनुभाग–1/2
5– राज्य योजना आयोग अनु0–1/2
6– निदेशक एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7–गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव